



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2352 / 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, मार्च 21, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय:

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत बगासू से बलाड़ी मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 4.00 किमी) हेतु 1.835 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्य प्रत्यावर्तन स्वीकृति विषयक ।

संदर्भ:-

FP / UK / ROAD / 17033 / 2015

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट ने अपने पत्रांक 2077 / 12-1 दिनांक 05-03-2016 के द्वारा विषयांकित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया है। विषयांकित प्रस्ताव में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति निम्न प्रकार है ।

रैंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई चौड़ाई (मीटर)	X क्षेत्रफल हेक्टर	बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं।
1	2	3	4	5	6
मुगरसन्ती रेंज	(1) सिविल वन भूमि ग्राम बलाड़ी (2) डम्पिंग हेतु सिविल भूमि	1900 X 9 50 X 25	1.71 0.125	76	0
	योग वन भूमि		1.835	76	
मुगरसन्ती रेंज	नाप भूमि- ग्राम बगासू व बलाड़ी	1800 X 9	1.62	30	0
	योग	3700		106	

प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण जो वन भूमि में पड़ रहा है, में 76 वृक्ष बाधित हो रहे हैं। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के द्वारा जिला स्तरीय गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त वांछित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन की संस्तुति की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट की संस्तुति के उपरान्त इस स्तर से निर्धारित प्रपत्र- III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

संलग्नक-यथोपरि।

(आर०के०मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक - 2352 / 12-1 (1) दि 21-3-16

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट को उनके पत्रांक 2077 / 12-1 दिनांक 5-3-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर०के०मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

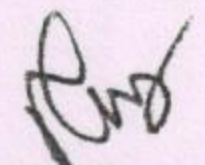
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

भाग-III
(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम— जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत बगासू से बलाड़ी मोटर मार्ग निर्माण
(लम्बाई 4.00 किमी) हेतु 1.835 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्य प्रत्यावर्तन स्वीकृति विषयक ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

दिनांक — 21 मार्च, 2016
स्थान — देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम — (आर०के०मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
ग्रामना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।